53

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर (म0प्र0)

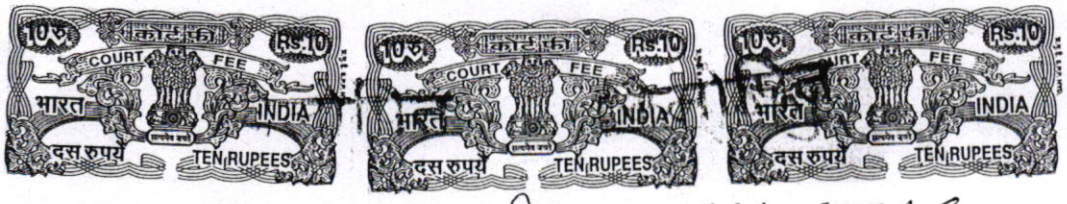

निग - 2661 - II/16

प्रकाश यादव पिता बब्बू यादव आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम दैखल, थाना भालूमाड़ा, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)
------ निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. हीरालाल केवट पिता महतो केवट आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम दैखल, थाना भालूमाड़ा, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)
2. राजस्व निरीक्षक मण्डल फुनगा, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

------ गैरनिगराकारगण / अनावेदकगण

<u>निगरानी विरुद्ध नायब तहसीलदार अनूपपुर वृत्त फुनगा के राजस्व प्रकरण क्र0 01/अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 09/10/2014 के नक्शा तर्मीम के सम्बंध में अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959</u>

8/8/16

मान्यवर,

निगरानीकर्ता / आवेदक उन्मान प्रकरण में नक्शा तर्मीम के सम्बंध में निगरानी प्रस्तुत कर विनय है कि:–

<u>निगरानी के सूक्ष्म तथ्य</u>

1. यहकि, भूमि ग्राम दैखल, पटवारी हल्का दैखल, रा0नि0मं0 फुनगा, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0) अन्तर्गत स्थित मूल ख0नं0 307 रकवा 2.102 हे0 भूमि मृतक रमवसिया पिता फोदल अहीर निवासी ग्राम दैखल के पट्टे, कब्जे दखल मालिकाना अधिकार की भूमि है। मृतक रमवसिया निगरानी आवेदक की आजी(दादी) थी।

2. यहकि, रमवसिया पिता फोदल अहीर ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि के अंश भाग 0.425 हे0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 20/04/1998 को मुबलिग 10,000 रु0 में क्रेता गैरनिगराकार / अनावेदक को विक्रय की थी और विक्रय–पत्र में विक्रीत भूमि की चौहद्दी, उत्तर में अर्जुन केवट की भूमि, दक्षिण में शासकीय रास्ता, पूर्व में, अर्जुन केवट की भूमि, पश्चिम में विक्रेता(रमवसिया की शेष भूमि) वर्णित किया गया था तथा उक्त भूमि के अंश रकवा विक्रय किये जाने के बाद मूल ख0नं0 307 के दो बटांक नम्बर 307/1 मूल भूमि स्वामी रमवसिया पिता फोदल अहीर के नाम पर एवं 307/2 क्रेता गैरनिगराकार / अनावेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज होते चला आया है।

3. यहकि, मूल भूमि स्वामी रमवसिया ने अपने जीवनकाल में शेष भूमि ख0नं0 307/1 रकवा 1.607 हे0 भूमि के साथ अन्य भूमि ख0नं0 14/1 को अपने नाती / निगरानीकर्ता के नाम वसीयत निष्पादित कराई थी तथा रमवसिया पिता फोदल अहीर की मृत्यु होने के बाद ख0नं0 307/1 का वसीयतनामा के आधार पर निगरानीकर्ता / आवेदक के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया और राजस्व अभिलेख में निगरानीकर्ता भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज अभिलेख है।

4. यहकि, गैरनिगराकार / अनावेदक रमवसिया पिता फोदल अहीर की मृत्यु के बाद अपनी विक्रीत चौहद्दी की भूमि से हटकर निगरानीकर्ता की भूमि ख0नं0 307/1 को जो आम रास्ता सड़क से लगी हुई है अपना भूमि ख0नं0 307/2 कहकर मनमानी तरीके से झूठा, मनगढ़ंत बेदखली दावा नायब तहसीलदार महोदय, अनूपपुर में संस्थित कर रखा है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

क्रमशः पेज 02 पर

प्रकाश यादव

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2667-दो/2016 जिला अनूपपुर प्रकाश विरूद्ध हीरालाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन व शासन पक्ष की ओर से श्री विवेक भार्गव अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के तर्क सुने गये । 3. यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार अनूपपुर वृत्त फुनगा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 09-10-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 4. निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 09-10-2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 5. अधिसूचना क्रमांक 2543-6408-सात-ना-1 दिनांक 27 जून 1968 (राजपत्र 30-8-68) द्वारा संहिता की धारा 71, 72, 73 (वर्तमान धारा 58, 69, 70) की शक्तियां शासन द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त की गई है । ऐसी दशा में तहसीलदार को संहिता की धारा 70 के अंतर्गत नक्शा तरमीम करने की अधिकारिता है । 6. संहिता की धारा 44 में यह प्रावधान है कि- " 44. अपील तथा अपीलीय अधिकारी (1) जहां अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, उसके अतिरिक्त इस संहिता	

अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी -

a) यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो, चाहे आदेश देने वाला पदाधिकारी को कलेक्टर की शक्तियां विनिहित की गई हो, उपखण्डीय पदाधिकारी को, _____"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध धारा 44(1) के अंतर्गत अपील हो सकती है । संहिता की धारा 46 में यह प्रावधान है कि -

" 46. कतिपय आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी- किसी भी ऐसे आदेश की -

a) जिसके द्वारा कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन इण्डियन लिमिटेशन एक्ट 1908 (1908 का सं.9) की धारा 5 में विनिर्दिष्ट किये गये आधारों पर ग्रहण किया गया है, या

b) जिसके द्वारा पुनर्विलोकन के लिये किये गये किसी आवेदन को नामंज़ूर किया गया है, या

c) जिनके द्वारा किसी ऐसे आवेदन को जो रोक(स्टे) के लिये हो, मंजूर या नामंजूर किया गया है, या

d) जो अंतरिम स्वरूप का है, या

e) जो धारा 104 की उपधारा (2) के अधीन की नियुक्ति से संबंधित है,

इस संहिता के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"

तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-10-2014 संहिता की धारा 70 के अंतर्गत पारित कर नक्शा तरमीम के आदेश दिये है । नायब तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरूप का है, इस कारण संहिता की धारा 46 के प्रावधान इस प्रकरण

	में आकर्षित नहीं होते । इस कारण नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश संहिता की धारा 44(1) के अंतर्गत अपील योग्य है । अपील योग्य आदेश के विरूद्ध निगरानी आवेदनपत्र ग्राह्य नहीं किया जा सकता । फलस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है । सदस्य 24.9.18	